

प्रपत्रक

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

प्रपत्रक एन0ओ0सी0 /

/2020-21 दिनांक

22/7/2020

विषय-डी0डी0 पब्लिक स्कूल कादीपुर बासुदेवपुर गाजीपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहना पड़ा हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों का आचरण नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और राज्य सरकार में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संस्था सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इकजांमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रमाण पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

Principal

Manager

D. D. Public School
Kadipur, Basdeopur-Ghazipur

D.D. Public School
Kadipur, Basdeopur
Ghazipur-233222

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा, और किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/

1413-20

/2020-21 दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. जिलाधिकारी गाजीपुर।
4. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबन्धक, डी0डी0 पब्लिक स्कूल कादीपुर बासुदेवपुर गाजीपुर।
8. गार्ड फाइल हेतु।

(अजय कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी


Principal
D.D. Public School
Kadipur Basdeopur-Ghazipur


Manager
D.D. Public School
Kadipur, Basdeopur
Ghazipur-233222